FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दोदू पुत्र हीरा जाति बनाम लक्ष्मण पुत्र हीरा जाति बैरवा
बैरवा नि. रहलाना खुर्द व अन्य नि. रहलाना खुर्द

किस्म मुकदमा बाजदायरी प्रार्थना नम्बर 30 सन् 2021 (55)

2021/30

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइरा हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री उमेश कुमार श्री जयपाल चावला 3 लगा, 9, 11, 18 लगा, 22 लगा 24	
3.2.21	यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी श्री उमेश कुमार एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 14.1.2021 को अपील अदम तकमील में खारिज किये जाने के फलस्वरूप पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थी संख्या 3से07, 9, 11, 18 से 20, 22 से 24 को दी गई। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी। प्रार्थी के अभिभाषक न प्रार्थी को न्यायालय में प्रत्येक पेशियों पर आने से मना किया हुआ था जिस कारण से प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रकरण में बरवक्त आवाज दिये जाते समय प्रार्थी के अभिभाषक अन्य न्यायालय में प्रकरण में बहस कर रहे थे। दूसरे प्रकरण में लम्बी बहस हो जाने से प्रार्थी के अभिभाषक माननीय न्यायालय में बहस हेतु उपस्थित नहीं हो पाये व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने भी यह बोल रखा था कि अन्य रेस्पोडेन्ट का वकालतनामा भी आ चुका है इसलिए प्रार्थी अधिवक्ता ने नोटिस पेश नहीं किये थे जिस कारण से माननीय न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण को अदम तकमील में खारिज कर दिया। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3से07, 9, 11, 18 से 20, 22 से 24 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट के उपस्थित नहीं होने से अपील को विधि सम्मत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है। प्रार्थना पत्र को कोस्ट लगाकर न्यायहित में स्वीकार किया जावें। अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3से07, 9, 11, 18 से 20, 22 से 24 की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	